संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 13 जनवरी, 2016

विषय-: नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92, दिनाँक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहॉं दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी है वहॉं उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह, जहॉं एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह तथा जहॉं दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहॉं उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/- प्रतिमाह होगी।

2- दिनाँक 01-01-2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये है:-

(1)- यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा।

(2)- जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा ।

(3)- जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो वहाँ उनका योग रू0 9,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

3- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।

4- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्धघाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

5- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वत: किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2016/सा-3-03(1)/दस-2016-19/92 टी0सी0, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।